फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लक्ष्मण सिंह **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 13/24**

जीसीएमएस : 2024/39

कमांक	कार्यवाही विवरण	विविध
	दिनांक : 25.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम मेड़ता पटवार हल्का मेड़ता तहसील मावली की नकल जमाबंदी 2077–80 के खाता संख्या 674 पर दर्ज आराजी नम्बर 2690/2104 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि में मकान बना हुआ है जिसे तहसीलदार मावली रास्ते में अतिक्रमण बताकर गिराया जा रहा है। जबकि उक्त मकान मेरे स्वयं की खातेदारी की भूमि में बना हुआ है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। ग्रामीण परिवेश में लोग अपनी खातेदारी की भूमि में निवासरत है तथा पक्के मकान भी बना रखे है। इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में बने मकान को गिराया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम मेड़ता पटवार हल्का मेड़ता तहसील मावली की नकल जमाबंदी 2077–80 के खाता संख्या 674 पर दर्ज आराजी नम्बर 2690/2104 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि में यदि प्रार्थी का मकान बना हो तो उसे मूल वाद के निस्तारण तक नही हटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia Date: 2025.04.22 17:34:27 IST Reason: SelfAttested	